

26.7.24

पञ्चावली आप सभ्यत्व की ओर लेने वाली
ग्राम पेश होने पर पेश हुई। वसिल
सभ्यत्व ने ग्रामपत्र 212 विज्ञापित किया जाने
देते ग्रामपत्र पत्र पेश करते हुए कथन
किया कि वह ग्रामपत्र 212 रजि. को
आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
ग्रामपत्र 212 रजि. खारिज किया जाने
का निवेदन किया है।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया
सायल आदेश 23 नियम 1 CBL के तहत किया
गया और वह अपना प्रारूप विज्ञापन कर सकता
है।

अतः आदेश है, कि प्रारूप 212 RGA
विज्ञापन करने की अनुमति दी जाती है। प्रकरण
विज्ञापन के आधार पर श्रावित किया जाता है।
पत्रावली के सल्लुआल होकर संलग्न मूलवाप
रहे।

2
सहायक कलक्टर प्रकरण
कोलपुर (राज.)